न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-109/2018

CNR N0-UPKU01-001604-2018

राज्य प्रति सिकन्दर व अन्य

आरोप

मैं सैय्यद वाइज मियां, सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर,

आप- अभियुक्तगण 1- सिकन्दर एवं 2- शिवनरायन को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः-

1- यह कि दिनांक 08.07.2016 को समय 19.00 बजे रात्रि, बहद ग्राम-बांसगांव बिन टोली, थाना-बिशुनपुरा, जिला-कुशीनगर में आपलोगों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में स्वैच्छया वादिनी श्रीमती सोनिया देवी के पति लालबाबू तुरहा को मारे-पीटे तथा उसे जहरीला पदार्थ पिला दिये, जिसे इलाज हेतु उसी रात 11.00 बजे के बाद सा०स्वा०केन्द्र, दुदही ले जाया गया, जहां आपलोगों द्वारा पिलाये गये जहरीला पदार्थ के कारण लालबाबू तुरहा को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार आपलोगों ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध किया, जो भा०द०सं० की धारा 304/34 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपलागों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 04.04.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांकः 04.04.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-109/2018

CNR N0-UPKU01-001604-2018

राज्य प्रति सिकन्दर व अन्य

04.04.2018

पत्रावली पेश की गयी। अभियुक्तगण सिकन्दर एवं शिवनरायन जेरे हिरासत उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी उपस्थित हैं।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण सिकन्दर एवं शिवनरायन के विरूद्ध धारा 304/34 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 304/34 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(सैय्यद वाइज मियां)

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।